AAE –1 (H)

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा

अक्तूबर, 2012

सार लेखन, प्रारूप और व्याकरण

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 100*

टिप्पणियां :

(1) सार और प्रारूप तैयार करने से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन करते समय परीक्षार्थी द्वारा उन्हें समझने और सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे छोटे वाक्यों में व्यक्त करने की योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह गद्यांश को चयनित रूप में दोहरा दे।

(2) इस प्रश्न पत्र में **7** प्रश्न और **4** पृष्ठ हैं।

(3) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. निम्नलिखित लेखांश का सार लिखिए और उसे उपयुक्त शीर्षक दीजिएः-

केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) सरकार की लोक वित्तीय प्रबंधन सुधार की पहल है जो सामाजिक क्षेत्र में कार्यक्रमों की निगरानी करती है और संवितरित निधियों पर नजर रखती है।

1045 से भी अधिक योजना स्कीमें हैं जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से प्राथमिकता वाले सामाजिक क्षेत्र में लागू की जा रही हैं और जिनका उद्देश्य पूरे भारत में लाखों लोगों को लाभ पहुंचाना है। साथ ही केंद्रीय सरकार अतिरिक्त केंद्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत भी राज्यों को अपने क्षेत्र के भीतर उपयोग करने के लिए निधियां जारी करती है। प्रत्येक वर्ष इन चैनलों के अंतर्गत लगभग ₹ 300,000 करोड़ (अमरीकी डालर 66 बिलियन) जारी किए जाते हैं। जिन चैनलों के माध्यम से धनराशि खर्च की जाती है उनकी विविधता और संख्या को देखते हुए केंद्रीय सरकार यह सुनिश्चित करना आवश्यक समझती है कि धनराशि का व्यय अभिप्रेत प्रयोजन के लिए हो और इसको उपयुक्त रूप से लेखाबद्ध किया जाए।

आर्थिक सर्वेक्षण (2007-08) ने योजना स्कीमों की प्रभावी रूप से वित्तीय निगरानी करने के लिए उनसे मिलने वाले लाभ और परिणाम पर नजर रखे जाने तथा ज्ञान-आधारित विशेषज्ञता जुटाने की आवश्यकता पर बल दिया। बाद में, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2008-09) में व्यापक निर्णय सहायता प्रणाली और प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना के

लिए केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली स्थापित किए जाने की घोषणा की। इसका अभिप्रेत परिणाम है केंद्रीय योजना और केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए स्कीमवार और राज्यवार दी जाने वाली धनराशि का ब्योरा जुटाना और उन पर नजर रखना।

11वीं योजना दस्तावेज ने योजना स्कीमों की वर्तमान लेखा प्रणाली की कमियों और इन स्कीमों की सूचित आयोजना, बजट निर्माण और प्रभावी निगरानी में सहायता करने की इसकी अक्षमता की पहचान की। इसने योजना स्कीमों के लिए समेकित वित्तीय सूचना प्रणाली की आवश्यकता पर भी बल दिया।

केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली का उद्देश्य यह है कि सामाजिक क्षेत्र की निगरानी में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही उपलब्ध कराना जो अब तक मौजूद नहीं है। वित्तीय उपयोग को लोक अधिकार बनाया जा सकता है और सबसे निचले स्तर तक निधियों का अंतरण तथा उनके द्वारा इसका उपयोग इच्छुक व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन निधियों में से 20% निधियां राज्यों को खजाने के माध्यम से और 80% निधियां विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से उन राज्यों को दी जाती है जिनकी खजाना व्यवस्था में कमजोर मूलभूत नियंत्रण व्यवस्था होती है।

केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली, उपयुक्त आनलाइन प्रबंधन सूचना और निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित किए जाने की दिशा में एक पहल है। एमआईएस, निधियों के अंतरण और साथ ही कार्यान्वयन अभिकरणों के सभी स्तरों के माध्यम से एवं कुछ मामलों में लाभार्थियों के स्तर तक उनके उपयोग पर नजर रखता है। निधियों के उपयोग और संबंधित बैंक खातों के संबंध में सूचना के वास्तविक समय पर उपलब्ध होने से बेहतर रोकड़ प्रबंधन प्रणाली स्थापित हो सकेगी और उपयुक्त निधियां समय पर जारी की जा सकेंगी तथा वास्तविक आवश्यकता के बिना निधियां जमा किए जाने से बचा जा सकेगा। उधार ली गई निधियों को वहन करने की कम लागत सुनिश्चित करने से जवाबदेही भी आएगी क्योंकि लोग अपने-अपने क्षेत्रों में किसी विशेष स्कीम से संबंधित सूचना तक पहुंच सकते हैं।

वर्तमान कार्यक्रम-विशिष्ट एमआईएस समय के पिछड़ेपन से प्रचालित हो है और वह प्रत्येक राजकोषीय वर्ष में अप्रयुक्त रही निधियों का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं करता। यद्यपि केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई निधियों को केंद्रीय सरकार के लेखों में व्यय के रूप से तत्काल दर्ज किया जाता है, क्षेत्र में इसके उपयोग में समय लगता है और जबकि वाणिज्यिक बैंक ऋण जारी करते है, केंद्रीय सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेना चाहिए। ऐसा एक ऐसी प्रणाली न होने के कारण है जो सभी स्कीमों, जिलों ब्लाकों या संस्थाओं में उपयोग, अग्रिमों, निधि अंतरणों या बैंक शेषों के संबंध में शीघ्रतापूर्वक समेकित या अलग-अलग सूचना उपलब्ध करा सके। जब तक उपयोग रिपोर्टें राज्य और केंद्रीय स्तर तक पहुंचती हैं, सूचना पहले ही पुरानी हो जाती है जिससे उसका उपयोग अत्यंत सीमित हो जाता है। केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली से बेहतर राजकोषीय घाटा प्रबंधन करने और अंततः और निधियों के वास्तविक प्रवाह के स्थान पर प्राधिकृत

करने के प्रवाह की प्रणाली लागू करने में सहायता मिलेगी जिसके अंतर्गत बैंक पहले कार्यान्वयन अभिकरणों के व्यय को पूरा करेंगे और बाद में केंद्रीय सरकार से प्रतिपूर्ति की मांग करेंगे।

बाद में आंकड़े उपलब्ध कराने के आधार पर एमआईएस में अदक्षताओं, असंगतताओं, अंतरों और चिरस्थायी समाधानों की कमियां हैं क्योंकि वे प्रक्रिया प्रवाह के साथ एकीकृत नहीं हैं। सीपीएसएमएस, कार्यान्वयन की पद्धति के लाभों को सुरक्षित रखते हुए, इन कमियों और कार्यान्वयन की एसपीवी पद्धति से संबद्ध पारदर्शिता एवं जवाबदेही से जुड़े मामलों का समाधान करने का प्रयास करती है।

यह प्रणाली वेब-अधारित अनुप्रयोग का उपयोग करती है जिसका विकास महालेखा नियंत्रक कार्यालय में किया गया है जोकि वित्त मंत्रालय (भारत) के अधीन भारत सरकार का शीर्षस्थ लेखा प्राधिकरण है। प्रथमतः, निधियां प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभिकरण का इसके सभी बैंक लेखों के पंजीकरण सहित प्रणाली में पंजीकरण किया जाता है; इस सूचना को प्राधिकरण के लिए संबंधित बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली से भी साझा की जाती है।

पंजीकरण के बाद, सीपीएसएमएस से निधि के प्रत्येक निर्गमन, चाहे वह व्यय, अग्रिम या अंतरण हो, को एक के प्रति एक वैधता या अदायगी प्राधिकृत की जा सकेगी। तदनुरूप लिखित संख्या और किसी भी निर्गमन की राशि को वास्तविक लेनदेन के पहले अनुमोदन के समय प्रणाली में दर्ज किए जाने की आवश्यकता होगी। सीपीएसएमएस-सीबीएस इंटरफेस के माध्यम से यह सूचना बैंकों के सीबीएस के साथ साझा की जाएगी और अदायगी की लिखत को बैंकों द्वारा तभी स्वीकार किया जाएगा जब तदनुरूपी प्रविष्टि सीपीएसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी।

यह प्रणाली सभी केंद्रीय मंत्रालयों में अब उपलब्ध है और सभी राज्य, मंत्रालय एवं स्कीम रिपोर्टें इन मंत्रालयों में उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध हैं। यह प्रणाली चार राज्यों मध्यप्रदेश, बिहार, मिजोरम और पंजाब में लागू की जा रही है। सीपीएसएमएस-सीबीएस इंटरफेस अब चालू है और बैंकों के साथ वास्तविक समय की सूचना का लेनदेन उपलब्ध करा रहा है। योजना आयोग ने भी इस प्रणाली पर तेजी से कार्य करने का निर्णय लिया है।

सीपीएसएमएस ने इसके शुरू होने से लेकर अब तक काफी प्रगति की है। सीपीएसएमएस के समर्पित वेब पोर्टल प्रचालन में है और इसका उपयोग 7.90 लाख बार किया गया है। सिविल मंत्रालयों की सभी योजना स्कीमों की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और वर्ष 2009-10 में 75,000 स्वीकृतियां जारी की गई हैं। योजना स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार से सभी राशियां अब सीपीएसएमएस के माध्यम से जारी की जाती हैं और इन राशियों को प्राप्त करने वाले सभी अभिकरण सीपीएसएमएस पोर्टल पर पंजीकृत हैं। 120,000 अभिकरण पंजीकृत हैं। भारत सरकार से मंत्रालय, स्कीम, राज्यवार, जिला, एनजीओ, व्यक्ति को जारी की गई राशियों के आंकड़े वास्तविक समय में सीपीएसएमएस पर अब केंद्रीय रूप से उपलब्ध है। सीपीएसएमएस आंकड़ों का मिलान महालेखा नियंत्रक के लेखा आंकड़ों के साथ पूरी तरह से किया गया है।

केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली का 32 बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान के साथ सफलतापूर्वक एकीकरण किया गया है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा मुख्य निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। सीपीएसएमएस को माइक्रोसाफ्ट डवलपर इनोवेशन एंड एक्सलेंस अवार्ड 2009 भी प्राप्त हो चुका है। *(25 अंक)*

2. उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 50 से 75 शब्दों में हो:
   (i) भारत सरकार को सीपीएसएमएस की आवश्यकता क्यों हुई, इसकी पृष्ठभूमि बताइए।
   (ii) सीपीएसएमएस भारत सरकार के योजना व्यय की निगरानी करने में किस प्रकार उपयोगी है।
   (iii) सीपीएसएमएस का कार्य-प्रवाह चार्ट दीजिए। *(5x3=15 अंक)*

3. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भेजे जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पहुंचाए जाने की व्यवस्था में सुधार लाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया हो। *(20 अंक)*

4. "भारत सरकार में ई-अदायगी प्रणाली से लाभार्थियों को शीघ्र, सही, परिशुद्ध और सुरक्षित अदायगी सुनिश्चित होगी।" उपर्युक्त विषय पर 200 शब्दों (लगभग) में पैराग्राफ लिखिए। *(25 अंक)*

5. निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक-एक शब्द लिखें - *(5 अंक)*
   i) जिसका शत्रु न जन्मा हो   ii) अनुकरण करने योग्य
   iii) जनता द्वारा संचालित शासन   iv) जो आदर करने योग्य हो
   v) थोड़ा जानने वाला

6. (क) निम्नलिखित के तीन-तीन पर्यायवाची शब्द लिखें - *(3 अंक)*
   i) अश्व   ii) उपाय   iii) क्रोध
   (ख) निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखें - *(2 अंक)*
   i) आशा   ii) सज्जन

7. निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का उपयुक्त हिन्दी शब्द लिखें - *(5 अंक)*
   i) Guarantee   ii) Article
   iii) Handicrafts   iv) Ex-Officio
   v) Contingency

AAE – 1 (E)

ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) EXAMINATION

OCTOBER, 2012

PRECIS AND DRAFT

Time Allowed : 3 Hours   *Maximum Marks : 100*

Note : 1. While evaluating the question on precis and drafting the candidates would be evaluated for their understanding and ability to express the same in short sentences using simple words. He would not be expected to reproduce the passage selectively.
2. This question paper contains **7** questions and **4** pages.
3. All the questions are **compulsory**.

1. Write a précis of the following passage and give a suitable title.

The Central Plan Scheme Monitoring System (CPSMS) is a public financial management reforms initiative of the Government of India which monitors programs in the social sector and tracks funds disbursed.

There are over 1045 plan schemes being implemented in the priority social sector, aimed at million of beneficiaries across India, through the different ministries of the Central Government of India. Moreover, the Central Government also releases funds under Additional Central Assistance program to states to use within their region. Approximately ₹300,000 crores (USD 66 Billion) are released under these channels each year. Given the diversity in and number of channels through which the money is spent the Central Government finds it necessary to ensure that the money is spent according to its intended purpose, and is appropriately accounted for.

The Economic Survey (2007-08) emphasized the need of output and outcome monitoring and creating knowledge-based expertise for effective financial monitoring of the Plan Schemes. Subsequently the Finance Minister in his Budget Speech (2008-09) announced the setting of the Central Plan Schemes Monitoring System towards establishment of a comprehensive Decision Support System and Management Information System. The intended outcome is to generate and monitor scheme-wise and State-wise releases for the Central Plan and Centrally Sponsored Schemes.

11th Plan Document recognized the deficiencies in the existing accounting system for the Plan Schemes and its inability to support informed planning, budgeting and effective monitoring of these schemes. It also underlined the need for a consolidated financial information system for the Plan Schemes.

CPSMS' purpose is to provide greater transparency and accountability to social sector monitoring that has not existed until now. Financial utilization can be put in the public domain, and fund transfers to grassroots entities and utilization by them can be accessed by interested individuals and organizations. Only about 20% of these funds are routed to states through the Treasury route and 80% of funds are sent through Special Purpose Vehicles, which have weaker intrinsic internal control mechanisms available in the Treasury mechanism.

CPSMS is an initiative towards establishing a suitable online management information and decision support system. The MIS tracks devolution of funds as well as their utilization through all tiers of implementing agencies and in some cases upto the level of beneficiaries. The real time availability of information on funds utilization and balances in respective bank accounts will enable better cash management system with timely release of adequate funds and avoiding of parking of funds without actual requirement. While ensuring reduced cost of carrying borrowed funds, it will also bring an accountability as people can access the information about a particular scheme in their respective areas.

The current program-specific MISs operate with time lags and do not give a clear picture of funds remaining unutilized in each fiscal year. While funds released by the Central Government are immediately booked as expenditure in the Central Government accounts, utilization in the field takes time and while commercial banks enjoy the float, the Central Government must borrow to meet its fiscal deficit. This is attributable to the absence of a system that could quickly provide consolidated or granular information on utilization, advances, fund transfers or bank balances across schemes, districts, blocks or institutions. By the time utilization reports reach the State and Central level, the data is already historical, significantly limiting its utility. CPSMS will aid in better fiscal deficit management, and to ultimately move to a system of flow of authorization as against the actual flow of funds, whereby banks will first meet the expenses of the implementing agencies and then seek reimbursement from the Central Government.

MISs based on post facto data feeding suffer from drawbacks of inefficiencies, inconsistencies, gaps and perennial reconciliations, as they are not integrated with the process flow. CPSMS attempts to address this, and the associated issues of transparency and accountability related to the SPV mode of implementation, keeping all the advantages of the mode intact.

The system uses a web-enabled application developed in the office of Controller General of Accounts, the apex accounting authority of the Government of India under Ministry of Finance (India). In the first step, every agency receiving funds is registered on the system, including registration of all the bank accounts of the agency; this information is shared with the respective banks' Core Banking System (CBS) for authentication.

Post registration, CPSMS will enable one to one validation or payment authorization of each release of funds, whether expenditure, advance, or transfer. The corresponding instrument number and amount for any release would need to be entered in the system at the time of approval, before the actual transaction. Through the CPSMS-CBS interface, this information would be shared with the banks' CBS and an instrument of payment will be honored by banks only when the corresponding entry is received through the CPSMS.

The system is now available in all the central ministries and all the state, ministry and scheme reports are available to users in these ministries. The system is being implemented in the four states of Madhya Pradesh, Bihar, Mizoram and Punjab. The CPSMS-CBS interface is now functional and is providing real time information exchange with the banks. The Planning Commission has also decided to fast-track work on the system.

CPSMS has made significant strides since its initial roll out. The dedicated web portal of CPSMS is operational and has registered 7.90 lakhs hits. All the Plan Schemes of Civil Ministries have been mapped and about 75,000 Sanctions were issued in 2009-10. All releases from the Government of India under Plan Schemes are now made through CPSMS, and all agencies receiving these releases are registered on the CPSMS Portal. 120,000 agencies have been registered. Ministry, Scheme, State-wise, District, NGO-, Individual data of releases from GOI is now available centrally on CPSMS in real time. The CPSMS data is fully reconciled with the accounting data of CGA.

Central Plan Scheme Monitoring System has successfully integrated with the Core Banking Solution (CBS) of 32 banks. It includes the Public Sector Banks and major Private Sector Banks. CPSMS has also won the Microsoft Developer Innovation & Excellence Award 2009. *(25 Marks)*

2. Answer the following questions on the basis of passage above. The answer should be in approximately in 50 to 75 words each.

   (a) Give background as to why CPSMS was required by Govt. of India.

   (b) How is CPSMS useful in monitoring of plan expenditure of Govt. of India?

   (c) Give the functional flow-chart of CPSMS. *(5x3=15 marks)*

3. Draft a D.O. letter from Secretary, Department of Health & Family Welfare, Government of India to the Chief Secretaries of the State Governments highighting the need to improve the delivery mechanism of health care services in States. *(20 marks)*

4. "e-Payment system in Govt. of India will ensure Prompt, Correct, Accurate & Secure payment to the beneficiaries".
Write a Paragraph on above topic in 200 words (Approx.) *(25 marks)*

5. Complete the following sentences with appropriate prepositions. *(5 marks)*

   (i) He fell............the cycle.
   (ii) The boys were running.....................the trees.
   (iii) She came back home....................an hour.
   (iv) I was horrified when I saw the child falling....................the staircase.
   (v) Let us go boating.................the river.

6. Change the following sentences into indirect speech- *(5 marks)*
   (i) You said to me, "I have never told a lie in my life".
   (ii) Bertrand Russel said, "Mistakes are an essential part of education".
   (iii) The teacher said to the boy, "Where did you find this pen?"
   (iv) The mother said, "Doctor please save my child".
   (v) The house-wife said, "Gardner, trim the hedges nicely".

7. Do as directed in the bracket-
   1. The profit was distributed________the shareholders. (Use Preposition)
   2. _________her no one has any objections to the plan. (Use Preposition)
   3. A position for which no salary is paid (Give one word substitution)
   4. She said, "I've been teaching English for seven years." (Write in Indirect Speech)
   5. They watch movies every week. (Write in Passive voice)

(5 marks)